न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 01/2015/टोंक (2015/00094)

रामावतार पुत्र घासीलाल, जाति जाट निवासी वजीरपुरा थाना सदर टोंक तहसील व जिला टोंक

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत नियम 18 आयुद्य अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
आदेश दिंनाक 05–12–2014 प्रकरण संख्या 39/2013

————

उपस्थितः 1– श्री गिरीश शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक : 28–11–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ग्राम वजीरपुरा तहसील टोंक पुलिस थाना सदर जिला टोंक के नाम अनुज्ञा पत्र संख्या 438/97 जिसमें शस्त्र संख्या टोपीदार दो नाली नम्बर 3133/97 दर्ज है। उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिनांक 31–12–2012 तक नवीनीकृत था। उक्त अनुज्ञापत्र आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण हेतु अपीलार्थी ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 25–3–2013 द्वारा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 5–12–2014 द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक की रिपोर्ट अनुसार थाना सदर में अपीलार्थी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा नम्बर 99/2012 दिनांक 18–6–2012 दर्ज है जिसके अनुसार धारा 147, 148, 149, 323, 325, 452, 308

भा.दस. में पंजीबद्ध चार्जशीट नम्बर 2/2013 दिनांक 11–1–2013 न्यायालय में विचाराधीन होना मानते हुए अपीलार्थी की अपील निरस्त कर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक का आदेश दिनांक 25–3–2013 को यथावत रखते हुए अपीलार्थी की अपील आदेश दिनांक 5–12–2014 से खारिज कर दी। अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के आदेश दिनांक 5–12–2014 से व्यथित होकरयह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–12–2014 की जानकारी अपीलार्थी को समय पर नहीं हो सकी। उक्त आदेश की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 16–1–2015 को थानाधिकारी द्वारा दी गई। अपीलार्थी अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उनके अधिवक्ता ने अपील प्रस्तुत करने की सलाह दी इस पर अपीलार्थी दिनांक 18–1–2015 को अजमेर आकर अपील तैयार करवाकर दिनांक 19–1–2015 को अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी के राजकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थी की धारा–5 मियाद अधिनियम की बहस का जवाब देते हुए तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों में एवं आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (1) में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी स्वयं राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है जिसको शस्त्र अनुज्ञा पत्रोंके नियमों की भली भांति जानकारी है। अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज मुकदमें में कहीं पर भी शस्त्र से फायर करना या धमकाने का हवाला नहीं है और न ही किसी गवाह ने शस्त्र के बारे में कोई ब्यान दिया है। अपीलार्थी ने शस्त्र अनुज्ञा पत्र की शर्तो का कोई उल्लंघन नहीं किया है जिसकी पुष्टि मुकदमें की एफ.आई.आर की प्रति से होती है। अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज मुकदमे में अपीलार्थी को न्यायालय ने दोषी नहीं माना है । अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किया जाता है तो लोक शांति एवं लोक सुरक्षा के विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। गृह विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना दिनांक 20–9–2007 के अनुसार उपखण्ड मजिस्ट्रेट को लाईसेंस नवीनीकरण के अधिकार प्रदान किये गये है। अनुज्ञा पत्र निरस्त करने के अधिकार प्रदान नहीं किये गये है फिर भी शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कर कानूनी भूल की है।

उनका यह भी तर्क है कि जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा दिनांक 5–5–2008 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट्स को शस्त्र अनुज्ञा एवं नवीनीकरण के संबंध में पत्र जारी किया गया जिसमें उपखण्ड मजिस्ट्रेट को केवल लोडिंग गन के शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण के बाबत गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20–9–2007 के सन्दर्भ में केवल नवीनीकरण के अधिकार दिये जाने का अंकन किया जिसमें यह भी स्पष्ट किया कि आप शस्त्र अनुज्ञा पत्रों को निरस्त नहीं करे परन्तु इसके बावजूद भी उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक ने अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किया बल्कि स्वयं जिला मजिस्ट्रेट, टोक ने नोटिफिकेशन के विपरीत जाकर कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त किये जाने के आदेश को यथावत रखते हुए अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि फौजदारी मुकदमें विचाराधीन होने मात्र से अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निलंबित नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी को न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय में दोषी नहीं ठहराया गया है। जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाता उसे मुकदमें में दोषी नहीं माना जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट, टोंक ने अपने आदेश में यह कहीं उल्लेख नहीं किया है कि किस प्रकार उक्त मुकदमा लोक शांति की सुरक्षा बनाए रखने के लिए निलंबित करना जरूरी था। जिला मजिस्ट्रेट, टोंक का आदेश न्यायिक दृष्टांत 2005 (2) सी.आर. एल.आर (राज.) पेज 907 खेमसिंह बनाम राजस्थान सरकार व अन्य के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 5–12–2014 एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक के आदेश दिनांक 25–3–2013 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी के पक्ष में जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं समय–समय पर जारी परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो, के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। जिला पुलिस अधीक्षक टोंक की रिपोर्ट के आधार पर थाना सदर में मु0न0 99/12 दिनांक 18–6–2012 में धारा 147, 148, 149, 323, 325, 452, 308 भा.दस. में पंजीबद्ध चार्जशीट नम्बर 2/2013 दिनांक 11–1–2013 चालान पेश होकर न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश टोंक द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध लगाये गये आरोप धारा 323, 325 भा.दस.स. में राजीनामा के आधार पर तथा अपराध धारा 308, 308/149, 147, 148, 452 भा.द. सहिता में सन्देह का लाभ दिया जाकर आदेश दिनांक 22–3–2021 को दोषमुक्त किया गया है। अपीलार्थी आपाराधिक प्रवृति का है और मारपीट करने का आदि है भविष्य में लोक शांति एवं लोक सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए अपीलार्थी के नाम जारी अनुज्ञा पत्र संख्या 438/97 जिसमें शस्त्र संख्या टोपीदार दो नाली नम्बर 3133/97 दर्ज को उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा सदर थाना टोंक में जमा कराने के आदेश पारित किये है। ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, टोंक का आदेश दिनांक 5–12–2014 एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोक का आदेश दिनांक 25–3–2013 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक की रिपोर्ट दिनांक 24–1–2013 के अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 99/2012 दिनांक 18–6–2012 दर्ज है जिसके अनुसार धारा 147, 148, 149, 323, 325, 452, 308 भा.दस. में पंजीबद्ध चार्जशीट नम्बर 2/2013 दिनांक 11–1–2013 न्यायालय में विचाराधीन होना मानते हुए शस्त्र को आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश टोंक ने अपीलार्थी को सन्देह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया है किन्तु अपीलार्थी आपराधिक प्रवृति व मारपीट करने वाला व्यक्ति है और भविष्य में विवाद होने एवं हथियार पास में होने पर किसी अनहोनी होने की घटना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि साथ ही अपीलार्थी पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है जिसको सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग द्वारा हथियार उपलब्ध कराये जाते है। घर पर हथियार रहने से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने का अंदेशा होने को दृष्टिगत रखते हुए उचित नहीं है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक ने जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक की रिपोर्ट पत्र क्रमांक 103 दिनांक 24–1–2013 के आधार पर अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र

को नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की गई। उक्त आधार पर अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र संख्या 438/97 जिसमें शस्त्र संख्या टोपीदार दो नाली नम्बर 3133/97 दर्ज को उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा सदर थाना टोंक में जमा कराने के आदेश पारित किया है जिसे जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा अपने आदेश दिनांक 5–12–2014 से उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक का आदेश दिनांक 25–3–2013 को यथावत रखने के आदेश पारित किये है, जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित एवं विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा दोनों अधिनस्थ न्यायालयों जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5–12–2014 प्रकरण संख्या 39/2013 बउनवान रामअवतार बनाम उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा पारित आदेश क्रमांक एफ (145)भू.अ./श.ला./13/524 दिनांक 25–3–2013 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28–11–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर